रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266077
CG-DL-E-11092025-266077

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3997]	नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2025/भाद्र 19, 1947
No. 3997]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025/BHADRA 19, 1947

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,10 सितम्बर, 2025

का.आ.4112 (अ). —जबकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

तथा जबकि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ परामर्श के बाद अपने पत्र संख्या ईएफ संख्या 13(12)/2023-ईजी-II(खंड-1), दिनांक 04 अगस्त, 2025 द्वारा खेल विभाग (जिसे आगे उक्त मंत्रालय या उक्त विभाग या उक्त एजेंसी कहा जाएगा), भारत सरकार (जिसे आगे उक्त सरकार कहा जाएगा) को सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (जिसे आगे उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत निर्धारित उद्देश्यों के लिए यह अनुमति दी गई है कि उक्त सरकार/मंत्रालय/विभाग/एजेंसी को प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है और आधार (वित्तीय और अन्यक सहायिकियों,

प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम 2016 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के तहत इसे अधिसूचित करने की अनुमति दी जा सकती है।

तथा जबकि, उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत निर्धारित अनुसार आधार प्रमाणीकरण पहचान सत्यापन के लिए किया जाएगा (*जिसे इसके बाद उक्त उद्देश्य के रूप में संदर्भित किया जाएगा*) और उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा तथा उक्त मंत्रालय/विभाग/एजेंसी केवल एथलीटों, कोचों और कर्मचारियों के पंजीकरण के दौरान और मंत्रालय/प्राधिकरण की विभिन्न स्कीमों के तहत उपस्थिति दर्ज करने के लिए आधार प्रमाणीकरण करेगा [*जिसे आगे उपयोग मामले के रूप में संदर्भित किया जाएगा*]।

अत:, अब, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में, उक्त मंत्रालय/विभाग/एजेंसी द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित किया जाता है, नामतया: -

1. (1) अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार मंत्रालय/विभाग/एजेंसी प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

(2) उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा, मंत्रालय/विभाग/एजेंसी आधार संख्या धारक को पहचान के निम्नलिखित वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के बारे में सूचित करेगा और आधार प्रमाणीकरण से इनकार करने या ऐसा करने में असमर्थ होने पर आधार संख्या धारक को सेवा देने से इनकार नहीं किया जाएगा, अर्थात्: -

(क) फोटो सहित बैंक या डाकघर की पासबुक

(ख) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड

(ग) पासपोर्ट

(घ) मतदाता पहचान पत्र

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. के-11013/2/2025-खेल-V]

आर. विनील कृष्णा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September,2025

S.O. 4112(E).—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need

for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed *vide* its letter no. eF. No. 13(12)/2023-EG-II(Vol-1) , dated 04th of August, 2025 to the Department of Sports (hereinafter referred to as the said Ministry or the said department or the said Agency), Government of India (hereinafter referred to as the said Government) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Government/Ministry/Department/Agency may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act):

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for identity verification (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Ministry/Department/Agency shall perform the Aadhaar authentication only for verification of athletes, coaches and staffs during their registration and marking attendance under various schemes of the Ministry/authority [hereinafter referred to as the use case(s)].

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the said Ministry/Department/Agency hereby notifies the following, namely: —

1. (1) The Ministry/Department/Agency, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

(2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis the Ministry/Department/Agency shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely: —

(a) Bank or Post Office Passbook with Photo
(b) Permanent Account Number (PAN) Card
(c) Passport
(d) Voter Identity Card

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. K-11013/2/2025-SP-V]

VINEEL KRISHNA RAVELLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.11 16:15:51 +05'30'